GOVERNMENT OF RAJASTHAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT & INFRASTRUCTURE

- A meeting was taken by the Chief Secretary today on 22nd August 2016 regarding inter departmental disputes which are pending where Courts. The following instructions were given in the meeting:-
 - Though PWD has given nil information, ve 1. should be taken from each and every district to doubly ensure that the information is authentic.
 - 2 In future, PWD at all levels should ensure that no case is registered against any other Govt. department/undertaking/corporation in a legal Court.
 - 3. There is a body at the State level headed by the Chief Secretary to solve State level disputes of Govt./undertakings/corporations if need be, this Forum should be used for resolution of any dispute.

This information should be collected by 9th September 2016 by the Jt. L.R., PWD and then it should be submitted to the undersigned through CE&AS.

1859 103

ACS PWD & Infra

Chief Engineer & Addl. Secretary, PWD

U.O. Note No. PS/ACS/PWD/2016/55

Dated - ママ. 08.2016

HCE (Adm.)
(ESAS
23/8
Noted als 5+off
(Bra-8-16

GOVERNMENT OF RAJASTHAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT & INFRASTRUCTURE

- A meeting was taken by the Chief Secretary today on 22nd August 2016 regarding inter departmental disputes which are pending in the Courts. The following instructions were given in the meeting:-
 - Though PWD has given nil information, yet information should be taken from each and every district to doubly ensure that the information is authentic.
 - In future, PWD at all levels should ensure that no case is registered against any other Govt. department/undertaking/corporation in a legal Court.
 - 3. There is a body at the State level headed by the Chief Secretary to solve State level disputes of Govt./undertakings/corporations if need be, this Forum should be used for resolution of any dispute.

This information should be collected by 9th September 2016 by the Jt. L.R., PWD and then it should be submitted to the undersigned through CE&AS.

1859 18

(**D.B.Gupta**) ACS PWD & Infra

U.O. Note No. PS/ACS/PWD/2016/ S57 69

Dated - 28.08. 2016

Copy to Chief Engineer (Roads)/Building/PMGSY/NH/SS, Public Works Department, Jaipur for necessary action.

ACS PWD & Infra

कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

एफ9 (8) विधिक / सानि / अस / अनु० ७ / डी-1575

दिनांक : 31/8/16

अति० मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-समस्त।

> विषय :-- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय वाद निस्तारण समिति की बैठक के संबंध में।

> संदर्भ :- यू0ओ0 नोट कमांक पीएस/एसीएस/सानिवि/2016/55769 दिनांक 22.08.2016 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के कम में लेख है कि पूर्व में पत्र दिनांक 17.08.2016 के द्वारा सानिवि से संबंधित अन्तर्विभागीय न्यायिक प्रकरणों की सूचना अपेक्षित की गयी थी, जिससे कि दिनांक 22.08.2016 को मुख्य सचिव, राज0 सरकार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रकरणों को रखा जा सके, परंतु पूर्ण सूचनाएं अप्राप्त रही। अतः अब निर्देशानुसार पुनः लेख है कि आपके अधिनस्थ सभी कार्यालयों से इस संबंध में सूचना प्राप्त कर उपलब्ध करावें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों निगम अंडरटेकिंग से संबंधित के विरुद्ध या की ओर से (अंतर्विभागीय) कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है और ना ही कोई प्रकरण वर्तमान में विभिन्न विभागों से विभाग का कोई विवाद है। उक्त सूचना आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2016 तक इस कार्याल्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें ताकि अति0 मुख्य सचिव, सानिवि को अवगत करा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सानिवि की ओर से राज्य सरकार के किसी विभाग/निगम/अंडरटेकिंग के विरुद्ध कोई विवाद न्यायालय में सीधे ही परिबद्ध नहीं कराया जायेगा। अपितु इस संबंध में परिपत्र दिनांक 22.01.2004 द्वारा मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

भवदीय

रसंयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अति० सचिव, सानिवि, राज्० जयपुर।

2. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (भवन / पथ / एस०एस० / पीएमजीएसवाई), सानिवि, राज० जयपुर।

3. परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी, राज0 जयपूर।

4. अधीक्षण अभियंता, सानिवि, वृत-समस्त।

संयुक्त विधि परामर्शी